अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–211/2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार दिनांक 30.03.2026

1. अंकित कुमार यादव पुत्र सत्यनारायण यादव ..... आवेदक

बनाम

बिहार सरकार . ..... विपक्षी

---

आवेदक की ओर से – श्री सरोज कुमार चौधरी, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी (राज्य) की ओर से – श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान अधिवक्ता।

---

## आदेश

30.03.2026

1. यह अग्रिम जमानत आवेदक/अभियुक्त **1. अंकित कुमार यादव** की तरफ से धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के तहत मनीगाछी थाना काण्ड संख्या 13/2026 अन्तर्गत धारा 309(4) बी0एन0एस0, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानांतरित होकर प्राप्त हुआ।

2. उक्त आवेदन पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री अमरेन्द्र नारायण झा को सुना गया।

3. अभियोजन वाद संक्षेप में सूचक के आवेदनानुसार यह है कि दिनांक 18.01.2026 को करीब 19.15 बजे कौआ गाछी के पास कुछ बदमाश युवक द्वारा सूचक को घेरकर स्पेलेन्डर मोटर साईकिल रजि0 न0-BR33Y-3852 तथा मोबाईल जिसका न0 8789976513 एवं 7324070650 था तथा पर्स जिसमें 2000/–(दो हजार) रूपया, पैन कार्ड, आधार कार्ड छीनकर सभी बदमाश भाग गये।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन न तो कहीं दाखिल किया गया है और न ही किसी वरीय न्यायालय में लंबित है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के अधिपत्य से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। आवेदक पढ़ने वाला विधार्थी है, उसका किसी भी अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के संतुष्टि के लिए उचित राशि का बंधपत्र देने को तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा खारिज करने का अनुरोध किया गया।

6. उभयपक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस काण्ड में धारा 309(4) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 7 में वादी का पुनः बयान तथा 8 एवं 9 में साक्षियों का बयान

है, जिसमें घटना का समर्थन किया गया है। कंडिका 33 में सभी अभियुक्तों के साथ आवेदक /अभियुक्त अंकित कुमार यादव का भी नाम आया है तथा उसी कंडिका के अंतिम पंक्ति में अंकित है कि आवेदक हाथ में कड़ा पहना हुआ था जो मारपीट के क्रम में टूट गया। कंडिका 36 में कहा गया है कि इस कांड के सह–अभियुक्त अजय कुमार मुखिया के निशानदेही पर गाछी के पीछे भाग में स्थित झाड़ी से मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। कंडिका 94 में आवेदक के विरूद्व कोई अपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है, परन्तु प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि आवेदक लूट गिरोह का सदस्य था तथा इस घटना में इसकी भूमिका थी। इस कांड के सह–अभियुक्त को जमानत आवेदन सं0 165/26 से अभियुक्त अजय कुमार मुखिया को नियमित जमानत दी गई है, परन्तु यह अग्रिम जमानत हेतु आवेदन दिया गया। इस कांड में अनुसंधान अभी भी जारी है। अतः आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त **1. अंकित कुमार यादव** को निर्देश दिया जाता है कि वह निम्न न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत हेतु प्रार्थना करें तथा निम्न न्यायालय बिना इस आदेश से प्रभावित हुए, उनके नियमित जमानत पर सुनवाई कर गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करें। इसी निर्देश के साथ आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन **निस्तारित** किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्,
दरभंगा।

| | |
|---|---|
| Date of Judgment/Order | 30-03-2026 |
| Date of Reserving Judgment/Order | 30-03-2026 |
| Uploading Date | 06-04-2026 |
| Uploaded by | Abhay Kumar(steno) |